

आदेश

श्री विश्वनाथ मुदगल, स्वास्थ्य निरीक्षक, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजाखेडा जिला धौलपुर जिनकी जन्म दिनांक 10.03.1963 एवं राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ती दिनांक 07.01.1987 है, को राज्य सेवा में रहते हुए दिनांक 31.03.2023 को अद्विवार्षिकी आयु 60 वर्ष पूर्ण करने पर सेवानिवृत् आदेश जारी किया जाता है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि कार्मिक के विरुद्ध आज दिनांक तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांचा विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(सुरेश नवल)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर
दिनांक : 17/3/2023

क्रमांक:ई- 32/लूज/सेवानिवृत्/स्वा.निरी./2023/105
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राज. जयपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, धौलपुर।
3. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, उप जिला चिकित्सालय, बाडी, धौलपुर।
4. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजाखेडा, धौलपुर।
5. प्रशासनिक अधिकारी, डी.पी.सी./टी.सी (अराजपत्रित), अनुभाग।
6. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
7. प्रभारी सर्वर रूम, कमरा नं. 302, मुख्यालय, को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
8. आदेश/रक्षित पत्रावली।

उक्त कर्मचारी के विरुद्ध यदि कोई ऑडिट पैरा या अन्य कोई वरसूली बकाया हो तो उसकी वसूली तत्काल कर निदेशालय को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर

Signature valid

Digitally signed by Surish Kumar
Naval
Designation : Director
Date: 2023.03.17 10:30:46 IST
Reason: Approved

